न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 27/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/41**
दायर दिनांक :– 14.02.2025 **निर्णय दिनांक :– 26.08.2025**

1. विकास पुत्र दोलाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. रीमा पत्नी विकास जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रामकुमार पुत्र दोलाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. इन्द्रा पत्नी रामकुमार जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 268/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर सरहद मौजा हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि की तरमीम बिना किसी विधिक आदेश सेग्रीकेशन योजना के तहत बिना मौका निरीक्षण किये ही व प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित करवादी जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में दिनांक 28.06.2017 को जारी भू–नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि खेत खसरा नम्बर 268/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर सरहद मौजा हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की भू–नक्शा में की गई विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के पूर्व में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.06.2017 को जारी भू–नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर

26/8/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

268/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुराने नक्शा लट्ठा अनुसार वर्तमान तरमीम किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों की गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 268/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त व पुराने नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा लट्ठा ट्रेस अनुसार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 268/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का कानासर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा लट्ठा ट्रेस में दर्ज पूर्व अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)